



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सरगुजा (छ0ग0)  
दूरभाष क्रमांक-07774-299120, ई-मेल-dlsa.sarguja@gmail.com



// विविध आदेश //

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

आदेश क्रमांक- 408 /जिविसेप्रा/2024 के द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 के पालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टाफ Receptionist-cum-Data Entry Operator की संविदात्मक नियुक्ति छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा निर्धारित बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक (संलग्न) में उल्लेखित मापदण्डों एवं Contractual Engagement में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप दिनांक 30/04/2025 तक की अवधि हेतु निम्नानुसार की जाती है:-

क0	नाम एवं पता	पदनाम	रिमार्क
01	श्री आकाश कुमार जायसवाल पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, चर्च के सामने, नावापारा, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, (छ0ग0) मो.नं. 6261492141	Receptionist-cum- Data Entry Operator	संबंधित कर्मचारी इस आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

**नियुक्ति की शर्तें:-**

- 01- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Receptionist-cum-Data Entry Operator की संविदात्मक नियुक्ति पदभार ग्रहण दिनांक से 30/04/2025 तक की अवधि के लिए रहेगी।
- 02- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Receptionist-cum-Data Entry Operator का मानदेय छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक-1730/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-26/06/2023 के बिन्दु क्रमांक-03 के अनुसार सरगुजा जिले की जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-


क0	पदनाम	निर्धारित मानदेय
1	Receptionist-cum-Data Entry Operator	14,000/- प्रतिमाह

- 03- यदि आप इस आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 में उल्लेखित Receptionist-cum-Data Entry Operator की प्रतिक्षा सूची में से वरियता के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

- 04- लीगल एड डिफेंस कौंसिल के Receptionist-cum-Data Entry Operator छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया करेंगे तथा उसी के अनुसार आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकेगी।
- 05- नालसा का पत्र क्र0F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्र0 F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, आप सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक /राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, आपकी सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- 06- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन आप अनिवार्यतः करेंगे।
- 07- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.L-27/2022-NALSA ( Part File )/ 4678-4714 dated 27th March,2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन आप सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आप उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।

(छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 की प्रति संलग्न)

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
(अमित जिंदल)  
सचिव


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 408A /जिविसेप्रा/2024

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

- 01- माननीय सदस्य सचिव, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02- चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल अंबिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- श्री आकाश कुमार जायसवाल पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, चर्च के सामने, नावापारा, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, (छ0ग0) मो.नं. 6261492141 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमित जिंदल)  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सरगुजा (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक-07774-299120, ई-मेल-dlsa.sarguja@gmail.com



// विविध आदेश //

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

आदेश क्रमांक- 408 /जिविसेप्रा/2024 के द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 के पालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टाफ Office Assistant/Clerks की संविदात्मक नियुक्ति छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा निर्धारित बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक (संलग्न) में उल्लेखित मापदण्डों एवं Contractual Engagement में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप दिनांक 30/05/2025 तक की अवधि हेतु निम्नानुसार की जाती है:-

क0	नाम एवं पता	पदनाम	रिमार्क
01	श्री रमेश कुमार पिता-श्री रामकुमार, निवासी ग्राम हरेठी वार्ड नं. 9, स्कूलपारा, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ0ग0) मो.नं. 7987546977	Office Assistant/Clerks	संबंधित कर्मचारी इस आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

**नियुक्ति की शर्तें:-**

- 01- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Office Assistant/Clerks की संविदात्मक नियुक्ति पदभार ग्रहण दिनांक से 30/04/2025 तक की अवधि के लिए रहेगी।
- 02- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Office Assistant/Clerks का मानदेय छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक-1730/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-26/06/2023 के बिन्दु क्रमांक-03 के अनुसार सरगुजा जिले की जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क0	पदनाम	निर्धारित मानदेय
1	Office Assistant/Clerks	17,000/- प्रतिमाह


- 03- यदि आप इस आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 में उल्लेखित Office Assistant/Clerks की प्रतिक्षा सूची में से वरियता के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 04- लीगल एड डिफेंस कौंसिल के Office Assistant/Clerks छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर

दिनांक-03/05/2024 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया करेंगे तथा उसी के अनुसार आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकेगी।

- 05- नालसा का पत्र क्र0F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्र0 F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, आप सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक /राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, आपकी सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- 06- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन आप अनिवार्यतः करेंगे।
- 07- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.L-27/2022-NALSA ( Part File )/ 4678-4714 dated 27th March,2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन आप सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आप उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।

(छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस. /2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 की प्रति संलग्न)

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
(अमित जिंदल)

सचिव


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 408A /जिविसेप्रा/2024

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

- 01- माननीय सदस्य सचिव, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02- चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल अंबिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- श्री रमेश कुमार पिता-श्री रामकुमार, निवासी ग्राम हरेठी वार्ड नं. 9, स्कूलपारा, तहसील -सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ0ग0) मो.नं. 7987546977 को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अमित जिंदल)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला सरगुजा (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक-07774-299120, ई-मेल-dlsa.sarguja@gmail.com



**// विविध आदेश //**

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

आदेश क्रमांक- 408 /जिविसेप्रा/2024 के द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 के पालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टाफ Office Peon की संविदात्मक नियुक्ति छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा निर्धारित बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक (संलग्न) में उल्लेखित मापदण्डों एवं Contractual Engagement में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुरूप दिनांक 30/05/2025 तक की अवधि हेतु निम्नानुसार की जाती है:-

क0	नाम एवं पता	पदनाम	रिमाक
01	राजेश्वरी पिता श्री मंगल साय निवासी ग्राम नवाडीह, पो0-कोठली, जिला-बलरामपुर (छ0ग0) । मो.नं. 9131267785	Office Peon	संबंधित कर्मचारी इस आदेश जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार अनिवार्य रूप से ग्रहण करें।

**नियुक्ति की शर्तें:-**

- 01- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Office Peon की संविदात्मक नियुक्ति पदभार ग्रहण दिनांक से 30/04/2025 तक की अवधि के लिए रहेगी।
- 02- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु Office Peon का मानदेय छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक-1730/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-26/06/2023 के बिन्दु क्रमांक-03 के अनुसार सरगुजा जिले की जनसंख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क0	पदनाम	निर्धारित मानदेय
1	Office Peon	10,000/- प्रतिमाह


- 03- यदि आप इस आदेश के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर चयनित पद का पदभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा द्वारा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 में उल्लेखित Office Peon की प्रतिक्षा सूची में से वरियता के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 04- लीगल एड डिफेंस कौंसिल के Office Peon छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस./2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 में

उल्लेखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया करेंगे तथा उसी के अनुसार आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकेगी।

- 05- नालसा का पत्र क्र0F.N.L/20/2019-NALSA dated 11-02-2023 एवं पत्र क्र0 F.N.L/20/2019-NALSA dated 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, आप सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक /राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, आपकी सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- 06- लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन आप अनिवार्यतः करेंगे।
- 07- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No.L-27/2022-NALSA ( Part File )/ 4678-4714 dated 27th March,2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन आप सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु आप उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।

(छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1328/एल.ए.डी.सी.एस. /2023-24, बिलासपुर दिनांक-03/05/2024 की प्रति संलग्न)

(माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

 12/6/2024  
( अमित जिंदल )

सचिव


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 4081A /जिविसेप्रा/2024

अंबिकापुर, दिनांक-12/06/2024

- 01- माननीय सदस्य सचिव, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02- चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल अंबिकापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- राजेश्वरी पिता श्री मंगल साय निवासी ग्राम नवाडीह, पो0-कोठली, जिला-बलरामपुर (छ0ग0) मो.नं. 9131267785 को सूचनार्थ प्रेषित।

 12/6/2024  
( अमित जिंदल )

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
सरगुजा (छ0ग0)